भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3703
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: महाराष्ट्र के कपास किसानों को सहायता
3703. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दिना पाटीलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कपास उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र में कपास उत्पादन में योगदान देने वाले प्रमुख जिलों, जैसे जलगांव और यवतमाल, में किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कपास किसानों को कीटों के हमले, कम बाजार मूल्य और बढ़ती आदान लागत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विशेषकर महाराष्ट्र में कपास की उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए उपग्रह-आधारित निगरानी या सटीक कृषि जैसे प्रौद्योगिकीय समाधान आरम्भ किए हैं या उनमें सहायता की है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कपास किसानों को फसल खराब होने या मूल्य में गिरावट होने की स्थिति में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी मुआवजे, बीमा या राहत का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या महाराष्ट्र में भारतीय कपास निगम के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास की खरीद को बढ़ाने की कोई योजना है और विगत तीन वर्षों के दौरान जिलावार कितना कपास खरीदा गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कपास उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:

(उत्पादन लाख गांठो में, प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम)

फसल	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
कपास	83.16	80.45	92.32

वर्ष 2024-25 के लिए आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमान के है।

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(ख) से (घ): सरकार महाराष्ट्र सहित कपास उत्पादक राज्यों के किसानों को कीटों के हमले, कम बाजार मूल्य, बढ़ती इनपुट लागत आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान करती है तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से कपास की उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए सेटेलाइट आधारित निगरानी या सतत कृषि जैसे तकनीकी समाधान प्रदान करती है।

विज़न 2030 के अनुरूप कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करने, नवाचार को बढ़ावा देने और संपूर्ण वस्त्र वेल्यू चेन को सुदृढ़ करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 में एक पंचवर्षीय 'कपास उत्पादकता मिशन' की घोषणा की थी। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय सहभागी है। इस मिशन का उद्देश्य सभी कपास उत्पादक राज्यों में अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों सहित कार्यनीतिक इंटरवेंशनों के माध्यम से कपास उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस मिशन में उन्नत प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास सहित जलवायु-अनुकूल, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली कपास किस्मों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है।

कपास के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, वर्ष 2014-15 से महाराष्ट्र सहित 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) (पूर्व में एनएफएसएम) के अंतर्गत कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अलावा, एनएफएसएनएम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर की 'कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों का लक्ष्य प्राप्त करना - कपास उत्पादकता बढ़ाने हेतु सर्वोत्तम पद्धतियों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन' नामक शीर्षक से कपास पर एक विशेष परियोजना महाराष्ट्र और सात अन्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित की गई है।

सरकार प्रत्येक वर्ष कपास किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नियत करती है, ताकि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर उन्हें संकटग्रस्त बिक्री से बचाया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन पर नियत किया जाता है। इनपुट लागत में वृद्धि को उत्पादन लागत की गणना में शामिल किया जाता है।

वस्त्र मंत्रालय के अधीन भारतीय कपास निगम, पर्याप्त खरीद केंद्र खोलकर कपास किसानों के हितों की रक्षा करता है, जहां इसके अधिकारी संपूर्ण कपास मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहते हैं। एमएसपी संचालन के तहत कपास खरीद के लिए कोई निश्चित लक्ष्य या मात्रा प्रतिबंध नहीं हैं। हालांकि, किसान अपनी उपज सीसीआई या निजी पार्टियों को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

महाराष्ट्र के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों जैसे जलगांव और यवतमाल में कपास किसानों की सहायता के लिए, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने अपनी दो शाखाओं, औरंगाबाद और अकोला के अंतर्गत जलगांव में 11 और यवतमाल में 15 केंद्र सहित 19 जिलों में 128 खरीद केंद्र खोले हैं। इस प्रकार, सीसीआई ने राज्य भर के कपास किसानों से 6.27 लाख लेनदेन के माध्यम से ₹10,714 करोड़ मूल्य के 144.55 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है। इसमें यवतमाल जिले से लगभग 21.39 लाख क्विंटल और जलगांव जिले से 4.79 लाख क्विंटल कपास की खरीद शामिल है।

सरकार राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम), कृषि बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एपीएमसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर और वेल्यू चेन विकसित करने में सहायता कर रही है। ई-नाम के अंतर्गत, दिनांक 30.6.2025 तक महाराष्ट्र की 133 एपीएमसी मंडियों को तक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत किया जा चुका है।

राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली इनपुट सब्सिडी के अलावा, केंद्र सरकार प्रति बूंद अधिक फसल, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन करके भी किसानों को सहायता प्रदान करती है। सरकार किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। कपास बीज

मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत कपास किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष बीटी कपास के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

सरकार विभिन्न कार्यकलापों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है, जिनमें फसल परियोजना (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान), सूखा निगरानी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। फसल परियोजना के तहत, कपास सहित प्रमुख फसलों के लिए क्षेत्र और उपज का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है।

सूखे की निगरानी के लिए, विभाग ने एसएसी (इसरो), अहमदाबाद के सहयोग से एक जियो पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल वर्षा, सॉइल नमी, सुदूरवर्ती सेसिंग-आधारित फसल की स्थिति, जल भंडारण आदि से संबंधित विभिन्न सूखा इंडिकेटरों के आंकड़े उपलब्ध कराता है।

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत विभिन्न परिचालन एप्लीकेशनों, जैसे फसल कटाई प्रयोगों के लिए स्मार्ट सैंपलिंग (सीसीई), उपज अनुमान और विवाद समाधान (क्षेत्रफल और उपज) के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने एक कृषि निर्णय सहायता पद्धति (कृषि-डीएसएस) विकसित की है, जो एक क्लाउड-आधारित भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म है जो कृषि क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। कृषि-डीएसएस प्लेटफ़ॉर्म जैसे मौसम संबंधी आंकड़े, सैटेलाइट इमेज, सॉइल परतें, जल संबंधी आंकड़े और क्षेत्र की जानकारी विभिन्न प्रकार के डेटासेट उपलब्ध कराता है। कृषि-डीएसएस कृषि प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न मॉड्यूल/एल्गोरिदम प्रदान करता है।

(ङ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुवाई से पहले से फसलोउपरांत तक फसल क्षति के विरुद्ध विस्तृत जोखिम बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, केवल उन्हीं बीमित किसानों को दावे प्रदान किए जाते हैं जिनकी फसल किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक जलवायु आपदा और मौसम संबंधी खतरों के कारण नष्ट हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार वर्ष 2016 से इस योजना का कार्यान्वयन कर रही है और विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कपास किसानों को भुगतान किए गए दावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	2020	2021	2022	2023	2024
भुगतान किए गए दावे (करोड़ में)	55.26	441.10	456.84	1941.09	758.95

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। इस योजना के तहत, बटाईदार किसानों सहित सभी किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे किसान जो समय पर ऋण चुका देते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

(च): पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार विगत वर्षों से कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि कर रही है। आगामी कपास सीजन 2025-26 (1 अक्तूबर, 2025 से प्रारंभ) के लिए, भारत सरकार ने कपास के एमएसपी में 8.27% तक की वृद्धि की है, अर्थात मध्यम स्टेपल के लिए एमएसपी बढ़ाकर 7,710 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि कपास सीजन 2024-25 के दौरान यह क्रमशः 7,121 रुपये प्रति क्विंटल और 7,521 रुपये प्रति क्विंटल था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद को सुदृढ़ करने के लिए, सीसीआई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. मौके पर ही आधार प्रमाणीकरण (ओटीपी/बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से) आधारित किसान पंजीकरण अनिवार्य किया गया।

ii. एमएसपी संचालन के अंतर्गत किसानों को बिल जनरेट करने और भुगतान की स्थिति की सूचना के लिए एसएमएस अलर्ट प्रारंभ किया गया।

iii. नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से कपास किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे 100% भुगतान, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमएसपी का लाभ सीधे वास्तविक कपास किसानों तक पहुंचे।

iv. कपास किसानों में एमएसपी दरों, निकटतम खरीद केंद्रों, भुगतान ट्रैकिंग, लाइव चैट सहायता आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नौ क्षेत्रीय भाषाओं में "कॉट-एली" मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।

विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भारतीय कपास निगम द्वारा जिलेवार खरीद का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत जिलेवार खरीद की गई मात्रा दर्शाने वाला विवरण:

क्रम सं.	शाखा	जिला	2021-22	2022-23	2023-24		2024-25	
			मात्रा	मात्रा	मात्रा		मात्रा	
					कपास (लाख क्विंटल)	लिंट (लाख बेल्स)	कपास (लाख क्विंटल)	लिंट (लाख बेल्स)
1	अकोला	अकोला	-	-	3.10	0.62	22.00	4.54
2	अकोला	अमरावती	-	-	0.52	0.11	13.00	2.70
3	अकोला	बुलढाना	-	-	1.00	0.21	9.00	1.82
4	अकोला	चंद्रपुर	-	-	1.10	0.22	12.00	2.42
5	अकोला	नागपुर	-	-	0.32	0.07	1.50	0.31
6	अकोला	वर्धा	-	-	0.38	0.08	8.40	1.69
7	अकोला	वाशिम	-	-	0.39	0.08	1.50	0.30
8	अकोला	यवतमाल	-	-	1.00	0.21	21.39	4.28
9	अकोला	गडचिरोली	-	-	-	-	0.25	0.05
10	औरंगाबाद	अहमदनगर	-	-	0.01	0.00	2.98	0.60
11	औरंगाबाद	औरंगाबाद	-	-	0.07	0.01	7.29	1.46
12	औरंगाबाद	बीड	-	-	0.05	0.01	6.00	1.39
13	औरंगाबाद	धुले	-	-	0.25	0.05	3.82	0.76
14	औरंगाबाद	हिंगोली	-	-	0.05	0.01	1.83	0.37
15	औरंगाबाद	जलगांव	-	-	0.83	0.17	4.70	0.96
16	औरंगाबाद	जालना	-	-	1.48	0.30	8.89	1.78
17	औरंगाबाद	नांदेड़	-	-	0.74	0.15	2.95	0.59
18	औरंगाबाद	नंदुरबार	-	-	0.04	0.01	3.05	0.61
19	औरंगाबाद	परभणी	-	-	0.72	0.14	14.00	2.80
कुल			**-**	**-**	**12.05**	**2.44**	**144.55**	**29.41**

नोट: कपास सीजन 2021-22 और 2022-23 के दौरान, कपास की कीमतें एमएसपी से ऊपर थीं। अतः, किसानों को एमएसपी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

स्रोत: कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
